"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जून 2010—आषाढ़ 2, शक 1932

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक 5432/एफ 1-3/2008/19/स्था-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007" में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-तीन में, कॉलम (2) के सेवा का नाम "डाटा एण्ट्री आपरेटर" के सम्मुख, कॉलम (5) के शीर्ष "शैक्षणिक अर्हता" में निम्नानुसार प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हता (निर्धारित) (5)	टिप्पणियां (6)
				1. मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी प्रमाण पत्र (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण. **अथवा** मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं साथ ही किसी भी विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन 8000 (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक 5432/एफ 1-3/2008/19/स्था-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 23 जून, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd June 2010

NOTIFICATION

No. 5432/F 1-3/2008/Est.-3.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following further amendment in the "Chhattisgarh Public Works Department (Non-Gazetted) Service Recruitment Rule, 2007", namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

In Schedule-III, in column (5) head "Educational Qualification", against Name of Service "Data Entry Operator" of column (2), the following entries shall be inserted, namely :—

Name of Department (1)	Name of Service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Educational Qualification (Prescribed) (5)	Remarks (6)
				1. Higher Secondary Certificate (10+2) examination passed from recognized Board. **Or** Class 10th examination passed from recognized Board and with Three year Diploma in any Subject. 2. One year Diploma from any recognized Institute in Data Entry Operator/Programming. Computer typing speed 8000 (Key) depression per hours speed in Hindi and English.	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.